इक्फाई विश्वविद्यालय, हिमाचल प्रदेश

दिनांक: ३ फरवरी २०२०

विद्यार्थी की आचार संहिता और आचरण इक्फाई विश्वविद्यालय में।

1. भूमिका

यह हैंडबुक विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए विश्वविद्यालय के साथ नामांकन करने वाले सभी छात्रों के लिए इक्फाई विश्वविद्यालय, हिमाचल प्रदेश की मानक प्रक्रियाओं और प्रथाओं को दर्शाती है। सभी छात्रों को पता होना चाहिए कि इस आचार संहिता का पालन करना उनके लिए अनिवार्य है और साथ ही यह आचार संहिता छात्रों के अधिकार, ज़िम्मेदारियाँ और प्रतिबंधों को भी दर्शाती है।

इस संहिता को लागू करने का मकसद विश्वविद्यालय में छात्र अनुशासन प्रक्रिया का प्रबंधन करना है। यह संहिता पढ़ने में आसान, बोधगम्य, क्रियाशील है। यह संहिता एक प्रणाली प्रदान करती है जो व्यक्तिगत और सामूहिक जिम्मेदारी के माध्यम से छात्र विकास को बढ़ावा देती है।

सभी छात्रों से अनुरोध है कि इस आचार संहिता को साथ अच्छी तरह से स्मरण कर ले, जिसकी समीक्षा संस्थान की आधिकारिक वेबसाइट पर भी की जा सकती है।

2. अधिकार

(क) विश्वविद्यालय के साथ जुड़े / नामांकित छात्रों के आचरण पर संज्ञान लेने के लिए विश्वविद्यालय का अधिकार क्षेत्र होगा। रैगिंग की घटनाओं सहित, कदाचार के सभी कृत्यों का संज्ञान या अन्यथा जो परिसर से संबंधित गतिविधियों और कार्यों के संबंध में हो रहे हैं।

(ख) विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय के बहार हुए ऐसे आचरण पर भी अधिकार क्षेत्र का प्रयोग कर सकता है जो इस नीति और अन्य नियमों में निर्धारित किए गए

आदर्श छात्र के आचरण और अनुशासन का उल्लंघन करता है अथवा परिसर से बहार हुए आचरण में शामिल होगा:-

(i) विश्वविद्यालय के अन्य छात्रों के खिलाफ विश्वविद्यालय की यौन उत्पीड़न नीति का कोई भी उल्लंघन।

(ii) शारीरिक हमला, हिंसा की धमकी या आचरण जो विश्वविद्यालय के अन्य छात्रों सहित किसी भी व्यक्ति के स्वास्थ्य या सुरक्षा के लिए खतरा है।

(iii) विश्वविद्यालय परिसर या परिसर से बहार हथियारों, विस्फोटकों या विनाशकारी उपकरणों का उपयोग करना या अपने पास रखना।

(iv) निषिद्ध दवाओं, शराब आदि का निर्माण, बिक्री या वितरण।

(v) आचरण जो कि एक नकारात्मक प्रभाव डालता है या आसपास के ऑफ-कैंपस समुदाय के सदस्यों के लिए एक उपद्रव का गठन करता है।

यह निर्धारित करते हुए कि इस तरह के ऑफ-कैंपस क्षेत्राधिकार का प्रयोग किया जाए या नहीं, यह निर्धारित करते समय विश्वविद्यालय, कथित अपराध की गंभीरता पर विचार करेगा। जिसमे नुकसान का जोखिम शामिल है। यह भी देखा जायगा कि क्या पीड़ित कैंपस समुदाय के सदस्य हैं और / या क्या ऑफ कैंपस का आचरण उन कार्रवाइयों का एक हिस्सा है जो ऑन और ऑफ कैंपस दोनों में हुई हैं।

3. नैतिकता एवं आचरण

(क) यह संहिता छात्रों के सभी प्रकार के आचरण पर लागू होगी, जो, विश्वविद्यालय परिसर मे होती है। जिसमें विश्वविद्यालय प्रायोजित गतिविधियों शामिल हैं और अन्य मान्यता प्राप्त छात्र संगठनों द्वारा होस्ट किए गए कार्यक्रम शामिल हैं। और किसी भी प्रकार की ऑफ कैंपस गतिविधियाँ जो विश्वविद्यालय के रुचियों या प्रतिष्ठा पर गंभीर परिणाम या प्रतिकूल प्रभाव डालती है।

(ख) प्रत्येक छात्र को यह स्वीकार करना चाहिए कि: -

(i) वह नियमित रहेगा और विश्वविद्यालय में अपनी पढ़ाई पूरी करेगा।

(ii) यदि किसी छात्र को किसी वैध कारण से पढ़ाई बंद करने के लिए मजबूर किया जाता है तो ऐसे छात्र को कुलपति की लिखित सहमति के बाद विश्वविद्यालय से निकला सकता है।

(iii) इस तरह के निष्कासन के परिणामस्वरूप, छात्र को सभी प्रकार का लंबित बकाया (कार्यक्रम शुल्क/ छात्रावास का बकाया/ कैफेटेरिया का बकाया/ बस बकाया और पुस्तकालय बकाया) जमा करना होगा। यदि कोई छात्र छात्रवृत्ति पर विश्वविद्यालय में शामिल हुआ था, तो उक्त अनुदान को निरस्त कर दिया जाएगा।

(iv) विश्वविद्यालय व्यवहार मानकों को लागू करके एक सुरक्षित और कुशल जलवायु को बढ़ावा देने में विश्वास करता है। सभी छात्रों को शैक्षणिक अखंडता को बनाए रखना चाहिए, सभी व्यक्तियों और उनके अधिकारों और संपत्ति और दूसरों की सुरक्षा का सम्मान करना चाहिए।

(ग) सभी छात्रों को ऑफ कैंपस किसी भी गतिविधि में भाग लेने सहित किसी भी अवगुण में लिप्त होने से बचना चाहिए, जो विश्वविद्यालय के हितों और प्रतिष्ठा को काफी हद तक प्रभावित कर सकता है। अवगुण के विभिन्न रूपों में शामिल हैं: -

(i) किसी व्यक्ति के लिंग, जाति, नस्ल, धर्म या धार्मिक मान्यताओं, रंग, क्षेत्र, भाषा, विकलांगता, या यौन अभिविन्यास, वैवाहिक या पारिवारिक स्थिति, शारीरिक या मानसिक विकलांगता, लिंग पहचान के आधार पर भेदभाव का कोई भी कार्य।

(ii) विश्वविद्यालय की संपत्ति या अन्य छात्रों और संकाय सदस्यों की संपत्ति को जानबूझकर नुकसान पहुंचाना या नष्ट करना।

(iii) किसी कक्षा कक्ष में या विश्वविद्यालय द्वारा प्रायोजित किसी कार्यक्रम में कोई विघटनकारी गतिविधि।

(iv) विश्वविद्यालय द्वारा जारी किए गए पहचान पत्र का उत्पादन करने में असमर्थ या कैंपस सुरक्षा गार्डों द्वारा इसकी मांग करने पर इनकार करना।

(v) निम्नलिखित गतिविधियों में भाग लेना:-

- विश्वविद्यालय की अनुमति के बिना बैठकों और जुलूसों का आयोजन।
- भारत सरकार द्वारा प्रतिबंधित धार्मिक या आतंकवादी समूहों की सदस्यता स्वीकार करना।

- किसी भी हथियार, गोला-बारूद, विस्फोटक या संभावित हथियारों, आतिशबाजी के अनधिकृत कब्जे और उपयोग जो कानून या नीति के विपरीत हो।
- हानिकारक रसायनों और प्रतिबंधित दवाओं का अनधिकृत कब्ज़ा या उपयोग।
- विश्वविद्यालय के परिसर में धूम्रपान करना।
- विश्वविद्यालय में शराब बेचना, उपभोग करना, वितरण करना और कैंपस में खाली बोतलें फेंकना।
- नो पार्किंग जोन में वाहन पार्क करना या अन्य प्रकार के वाहनों की पार्किंग के लिए निर्धारित क्षेत्र।
- कैंपस में रैश ड्राइविंग करना जो दूसरों के लिए किसी भी असुविधा का कारण हो सकता है।
- रजिस्ट्रार को पहले से मौजूद स्वास्थ्य स्थितियों जो कि शारीरिक या मनोवैज्ञानिक का खुलासा नहीं करना, जो शैक्षणिक प्रगति में बाधा का कारण हो सकता है।
- अन्य संसाधनों की चोरी या अनधिकृत पहुंच।
- अव्यवस्थित, भद्दे, या अशोभनीय शोर पैदा करना, धक्का देने और उकसाने, विश्वविद्यालय में दंगा या सामूहिक विघटन में भाग लेने या भाग लेने सहित अशोभनीय आचरण में संलग्न होना।

(घ) छात्रों से अपेक्षा की जाती है कि वे विश्वविद्यालय की ओर से मीडिया प्रतिनिधियों के साथ बातचीत न करें या विश्वविद्यालय के अधिकारियों की अनुमति के बिना मीडियाकर्मियों को परिसर में आमंत्रित न करें।

(ङ) छात्रों को पूर्व अनुमति के बिना, मीडिया को परिसर में किसी भी गतिविधि के ऑडियो और वीडियो क्लिपिंग प्रदान करने की अनुमति नहीं है।

(च) छात्रों से अपेक्षा की जाती है कि वे सोशल मीडिया का सावधानीपूर्वक और जिम्मेदारी के साथ उपयोग करें, ताकि वे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर विश्वविद्यालय के अन्य व्यक्तियों के बारे में अपमानजनक टिप्पणी पोस्ट न कर सकें या विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा पर गंभीर प्रभाव डालने वाली किसी भी संबंधित गतिविधियों में लिप्त हो न सकें।

(छ) विश्वविद्यालय के कंप्यूटरों और अन्य इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों जैसे कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक संचार सुविधाओं, प्रणालियों और सेवाओं की चोरी या दुरुपयोग जिसमें

अनधिकृत प्रवेश, उपयोग, छेड़छाड़ आदि शामिल हैं। विश्वविद्यालय की संपत्ति या सुविधाएं। क्लासरूम, कंप्यूटर नेटवर्क और अन्य प्रतिबंधित सुविधाएं और दूसरों के काम में दखल देना दंडनीय है।

(ज) विश्वविद्यालय की किसी भी संपत्ति का नुकसान या विनाश या संस्थान परिसर में किसी की संपत्ति।

(झ) उस व्यक्ति के ज्ञान और एक्सप्रेस सहमति के बिना, उस स्थान पर किसी व्यक्ति की फोटो / वीडियो रिकॉर्डिंग, फोटो खींचना या ऑडियो / वीडियो बनाना जहां व्यक्ति की गोपनीयता की उचित अपेक्षा हो।

(ञ) उत्पीड़न के किसी भी रूप में लिप्त होना, जो एक ऐसे आचरण के रूप में परिभाषित किया गया है जो गंभीर और उद्देश्यपूर्ण है। एक आचरण जो किसी व्यक्ति की नस्ल, रंग, राष्ट्रीय या जातीय मूल, नागरिकता, लिंग, धर्म, आयु, यौन अभिविन्यास, लिंग, लिंग पहचान, वैवाहिक स्थिति, वंश, शारीरिक या मानसिक विकलांगता, चिकित्सा स्थिति के आधार पर प्रेरित होता है।

(ट) उत्पीड़न के किसी भी रूप में लिप्त होना, जो एक ऐसे आचरण के रूप में परिभाषित किया गया है जो गंभीर और जान-बूझकर किया हुआ है, यह वो आचरण जो किसी व्यक्ति की जाति, रंग, राष्ट्रीय या जातीय मूल, नागरिकता, लिंग, धर्म, आयु, यौन अभिविन्यास, लिंग, लिंग पहचान, वैवाहिक स्थिति, वंश, शारीरिक या मानसिक विकलांगता, चिकित्सा स्थिति, के आधार पर प्रेरित होता हो।

4. यदि किसी छात्र के खिलाफ आचार संहिता के संभावित उल्लंघन के लिए मामला है, तो एक उपयुक्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश करने के लिए एक स्थायी जांच समिति बनाई जाएगी जो कथित उल्लंघन के बारे में पूछताछ करेगी और तदनुसार उक्त छात्र के खिलाफ की जाने वाली कार्रवाई का सुझाव देगी। । समिति कदाचार का पता लगाने के लिए छात्र के साथ बैठक कर सकती है और कदाचार की प्रकृति के आधार पर निम्नलिखित अनुशासनात्मक कार्रवाइयों में से एक या अधिक का सुझाव दे सकती है।

(क) <u>चेतावनी</u>:- यह दर्शाते हुए की उक्त अपराधी छात्र, छात्र संहिता का उल्लंघन कर रहा था और आगे भी किसी भी दुराचार में लिप्त होता है तो उसके ऊपर गंभीर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

(ख) <u>प्रतिबंध</u>:- एक निश्चित समयावधि के लिए परिसर में विभिन्न सुविधाओं तक पहुंच को रोकना और प्रतिबंधित करना। समय की एक निर्दिष्ट अवधि के लिए परिसर में विभिन्न सुविधाओं तक पहुंच को रोकना और प्रतिबंधित करना।

(ग) <u>सामुदायिक सेवा</u>:- यदि आवश्यक हो तो समय की एक निर्दिष्ट अवधि के लिए और जरुरत हो तो आगे भी बढ़ाया जाना। हालांकि भविष्य में किए गए किसी भी कदाचार के साथ-साथ किसी भी शर्त का पालन करने में विफलता के कारण निलंबन या निष्कासन सहित गंभीर अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सकती है।

(घ) <u>निष्कासन</u>:- स्थायी रूप से विश्वविद्यालय से एक छात्र का निष्कासन। यह दर्शाते हुए संस्थान परिसर में प्रवेश निषेध है और किसी भी छात्रों संबंधित गतिविधियाँ में प्रवेश निषेध है और संस्थान परिसर के निवास में प्रवेश निषेध है आदि।

(ङ) <u>निलंबन</u>:- एक छात्र को समय की एक निर्दिष्ट अवधि के लिए निलंबित किया जा सकता है जो छात्र से संबंधित कक्षाएं, गतिविधियाँ, कार्यक्रम आदि में भाग लेने पर प्रतिबंध लगाएगा। इसके अतिरिक्त छात्र को विश्वविद्यालय सुविधाओं का उपयोग करने नहीं दिया जाएगा, जब तक सक्षम अधिकारी से अनुमति नहीं मिलती। निलंबन के साथ अतिरिक्त निम्नलिखित करवाई भी की जा सकती है:-

(i) तीन साल की अवधि के लिए विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए फिर से अयोग्यता,

और

(ii) अध्ययन किए गए पाठ्यक्रमों के लिए या अन्य किसी अध्ययन के काम के लिए ग्रेड कार्ड या प्रमाण पत्र को रोकना।

5. <u>प्रार्थना करना (अपील)</u>:-

यदि उपद्रवी छात्र किसी भी उपरोक्त दंड के लागू होने से व्यथित है, तो वह कुलपति से प्रार्थना (अपील) कर सकता है। कुलपति निम्नलिखित में से किसी एक पर निर्णय ले सकते हैं:

(क) समिति की सिफारिश को स्वीकार करें और समिति द्वारा सुझाई गई सजा को लागू करें या संशोधित करें और इस संहिता में

निर्धारित दंड के रूप में किसी भी दंड को लागू करें, जो कि सिद्ध दुराचार के गुरुत्वाकर्षण के अनुरूप हो।

(ख) मामले को पुनर्विचार के लिए जाँच समिति को वापस भेज दें

किसी भी मामले में कुलपति का निर्णय अंतिम और उन सभी मामलों में बाध्यकारी होता है जहां किसी छात्र द्वारा संभावित दुराचार होता है।

6. <u>अकादमिक अखंडता</u>:-

उच्च शिक्षा के लिए एक प्रमुख संस्थान के रूप में, विश्वविद्यालय अकादमिक अखंडता को महत्व देता है और शैक्षणिक अखंडता के सिद्धांतों के आधार पर एक बौद्धिक और नैतिक वातावरण को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। शैक्षणिक ईमानदारी अनुसंधान और छात्रवृत्ति के संचालन के लिए नैतिक मानकों से संबंधित ईमानदारी और जिम्मेदारी और जागरूकता शामिल है। विश्वविद्यालय का मानना है कि सभी शैक्षणिक कार्यों में, दूसरों के विचारों और योगदान को उचित रूप से स्वीकार किया जाना चाहिए। विश्वविद्यालय और उसके अनुसंधान मिशनों की सफलता के लिए अकादमिक अखंडता आवश्यक है, और इसलिए, शैक्षणिक अखंडता का उल्लंघन एक गंभीर अपराध है। शैक्षणिक अपराध में शामिल है:-

(क) धोखा:- जालसाज़ी में शामिल है, लेकिन यह तक सीमित नहीं है:-

(i) परीक्षाओं के दौरान नकल, और होमवर्क असाइनमेंट की प्रतिलिपि बनाना, थीसिस या पांडुलिपियों प्रतिलिपि बनाना।

(ii) नकल की अनुमति या सुविधा, किसी और के लिए रिपोर्ट लिखना या परीक्षा देना।

(iii) अनधिकृत सामग्री का उपयोग करना, नकल करना, अधिकृत न होने पर सहयोग करना और विभिन्न सोतों से कागजात या सामग्री खरीदना या उधार लेना।

(iv) प्रतिलिपि डेटा बनाना या मिथ्याकरण (हेरफेर) डेटा और उन्हें थीसिस और प्रकाशन रिपोर्ट में शमिल करना।

(v) सोत, या उद्धरण बनाना जो मौजूद नहीं हैं

(vi) पूर्व में किए गए मूल्यांकन को बदलना और पुनर्मूल्यांकन के लिए काम फिर से प्रस्तुत करना।

(vii) असाइनमेंट, रिपोर्ट, शोध कागज, थीसिस या उपस्थिति पत्रक। पर किसी अन्य छात्र का नाम हस्ताक्षर करना।

अकादमी की अखंडता के किसी भी उल्लंघन को उनके विचार और उपयुक्त सिफारिशों के लिए स्थायी जांच समिति के ध्यान में लाया जाएगा।

7. <u>रैगिंग का विरोध</u>:-

विश्वविद्यालय में एक सुसंगत और एक प्रभावी एंटी-रैगिंग नीति है जो "उच्च शैक्षणिक संस्थानों में रैगिंग के खतरे को रोकने के लिए यू.जी.सी विनियमन,2009 [इसके बाद 'यूजीसी विनियम' के रूप में जाना जाता है]" पर आधारित है। यूजीसी विनियम भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सभी भारतीय शैक्षिक संस्थानों और कॉलेजों में रैगिंग को रोकने और प्रतिबंधित करने के लिए जारी निर्देशों के मद्देनजर बनाए गए हैं।

रैगिंग निम्नलिखित कृत्यों में से एक या अधिक का गठन करती है:-

(i) किसी भी छात्र या छात्रों द्वारा किया गया कोई भी आचरण चाहे वह बोले या लिखे गए शब्दों द्वारा या किसी ऐसे कार्य से हो, जिसमें किसी भी छात्र के साथ अशिष्टता के साथ छेड़छाड़, व्यवहार करना या अशिष्टता से निपटना का प्रभाव हो;

(ii) किसी भी छात्र या छात्रों द्वारा उपद्रवी या अनुशासनहीन गतिविधियों में लिप्त होना, जो किसी अन्य छात्र में झुंझलाहट, कठिनाई, शारीरिक या मनोवैज्ञानिक नुकसान का कारण बनता है या भय या आशंका पैदा करता है;

(iii) किसी भी छात्र से ऐसा कोई भी कार्य करने के लिए कहना, जो ऐसे छात्र को साधारण न लगे और जिसके कारण लज्जा उत्पन्न करने या उत्पन्न करने का प्रभाव हो या शर्मिंदगी हो जिससे ऐसे छात्र के शरीर या मानस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़े;

(iv) किसी भी वरिष्ठ छात्र द्वारा कोई भी कार्य जो किसी भी छात्र की नियमित शैक्षणिक गतिविधि को रोकता या बाधित करता है;

(v) एक व्यक्ति या छात्रों के समूह को सौंपे गए शैक्षणिक कार्यों को पूरा करने के लिए एक छात्र की सेवाओं का शोषण;

(vi) किसी छात्र पे अन्य छात्रों द्वारा लगाए गए वित्तीय जबरन वसूली या बलपूर्वक खर्च का कोई भी कार्य;

(vii) शारीरिक शोषण का कोई भी कार्य जिसमें इसके सभी प्रकार शामिल हैं: यौन दुर्व्यवहार, स्ट्रिपिंग, जबरन अश्लील और भद्दी हरकतें, इशारे, जिससे शारीरिक नुकसान हो या स्वास्थ्य के लिए कोई अन्य खतरा हो या व्यक्ति को कोई अन्य खतरा हो;

(viii) बोले गए शब्दों, ईमेलों, पोस्टों, सार्वजनिक अपमानों से किसी भी प्रकार का अपमान,, जिसमें विकृत आनंद, विकराल या दुखद रोमांच को सक्रिय रूप से प्राप्त करना या निष्क्रिय रूप से किसी अन्य छात्र को अस्वीकृति में भाग लेना शामिल है;

(ix) कोई भी कार्य जो किसी अन्य छात्र के ऊपर एक छात्र द्वारा एक दुखवादी सुख प्राप्त करने या एक छात्र द्वारा शक्ति, अधिकार या श्रेष्ठता दिखाने के इरादे के साथ या बिना किसी अन्य छात्र के मानसिक स्वास्थ्य और आत्मविश्वास को प्रभावित करता है।

एंटी रैगिंग कमेटी

रजिस्ट्रार द्वारा गठित एंटी-रैगिंग समिति, एंटी-रैगिंग की सभी शिकायतों की जांच करेगी और घटना की प्रकृति के आधार पर सिफारिश के साथ सामने आएगी।

समिति द्वारा दोषी पाया गया छात्र, एंटी-रैगिंग कमेटी द्वारा लगाए गए निम्नलिखित दंडों में से एक या अधिक को आकर्षित करेगा:-

(क) कक्षाओं में भाग लेना और शैक्षणिक विशेषाधिकारों से निलंबन।

(ख) छात्रवृत्ति / फैलोशिप और अन्य लाभों को वापस लेना/रोक देना।

(ग) किसी भी परीक्षा या अन्य मूल्यांकन प्रक्रिया में उपस्थित होने से निषेध करना/ रोकना।

(घ) परिणाम रोकना।

(ङ) किसी भी सहयोगात्मक कार्य को करने से रोकना या किसी भी राष्ट्रीय/ अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन से रोकना और किसी भी राष्ट्रीय/ अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में संगोष्ठी (निबंध-संग्रह)/ शोध कार्य प्रस्तुत करने से रोकना।

(च) हॉस्टल और मैस से निलंबन / निष्कासन।

(छ) प्रवेश रद्द करना।

(ज) संस्था से निष्कासन और परिणामस्वरूप किसी अन्य विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने से एक निर्दिष्ट अवधि के लिए रोकना।

(झ) ऐसे मामलों में जहां रैगिंग के कार्य को करने वाले या उकसाने करने वाले व्यक्तियों की पहचान नहीं की जाती है, वहाँ, विश्वविद्यालय सामूहिक दंड का सहारा लेगा।

(ञ) जरूरत पड़ने पर, रैगिंग की कार्रवाई की तीव्रता को देखते हुए, विश्वविद्यालय द्वारा स्थानीय पुलिस अधिकारियों के साथ एक प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दायर की जाएगी।

विश्वविद्यालय की एंटी-रैगिंग कमेटी उचित निर्णय लेगी, जिसमें रैगिंग की घटना की प्रत्येक घटना के तथ्यों और परिस्थितियों और रैगिंग की प्रकृति और गुरुत्वाकर्षण के आधार पर सजा का प्रावधान शामिल है।

यहां/ ऊपर दिए गए सजा के आदेश के खिलाफ एक अपील विश्वविद्यालय के कुलपति को प्रस्तुत की जा शक्ति है।

8. यौन उत्पीड़न:-

कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम और निषेध पर विश्वविद्यालय नीति, 2016 विश्वविद्यालय के छात्रों पर भी लागू होगी। छात्रों को ध्यान देना चाहिए कि यौन दुराचार या उत्पीड़न, आचरण की एक सीमा को समाहित करता है, जिसमें यौन हमला, अवांछित स्पर्श या लगातार अवांछित टिप्पणी, ई-मेल या अपमानजनक या अपमानजनक यौन स्वभाव के चित्र तक शामिल है, जो उत्पीड़न का कारण बन सकता है। जो प्रत्येक मामले की परिस्थितियों पर निर्भर करेगा।

9. छात्र शिकायत प्रक्रिया:-

विश्वविद्यालय का कोई भी छात्र जो यौन उत्पीड़न, दुराचार या रैगिंग के किसी भी कृत्यों से व्यथित होता है जैसा कि परिभाषित और संक्षेप में बताया गया है, तो वो छात्र विश्वविद्यालय की शिकायत निवारण सेल से संपर्क कर सकता हैं। इसके अलावा, जो भी

छात्र किसी भी उल्लंघन के बारे में जानते हैं, तो, उन्हें वो सेल में रिपोर्ट करवा सकते हैं। प्रकोष्ठ में रजिस्ट्रार द्वारा नियुक्त सदस्य शामिल होंगे। किसी भी घटित घटना कि शिकायत लिखित में होनी चाहिए और कथित उल्लंघन के दिन से 60 दिनों के भीतर की जानी चाहिए।

10. <u>शासन में छात्र भागीदारी</u>:-

चूंकि छात्र विश्वविद्यालय परिसर के सदस्य हैं, इसलिए उन्हें विश्वविद्यालय के शासन में पर्याप्त रुचि है। यहां पर दी गई संहिता, नीतियां और विभिन्न प्रक्रियाएं बताती हैं कि प्रशासनिक और शैक्षणिक दोनों क्षेत्रों में छात्र की भागीदारी का सिद्धांत आवश्यक है और यह महत्वपूर्ण है, कि छात्रों को सभी बिंदुओं पर अपने विचार रखने और सलाह देने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए और एक सूचित निर्णय लेने के लिए भी। इसलिए, सभी छात्र जो विश्वविद्यालय का एक हिस्सा हैं, उन्हें नीति को बनाए रखने और किसी भी उल्लंघन को व्यक्तिगत रूप से विश्वविद्यालय में सूचित करने और और सामूहिक रूप से इस संहिता की गुणवत्ता और प्रभावशीलता को बेहतर बनाने के लिए सहायता करने की सलाह दी जाती है।

अश्विनी कुमार शर्मा

कुलसचिव

ICFAI UNIVERSITY • BADDI • Himachal Pradesh •

वितरण: -

1. सभी नोटिस बोर्ड,
2. नोटिस बोर्ड - गर्ल्स एंड बॉयज हॉस्टल,
3. विश्वविद्यालय का मुख्य द्वार,
4. प्रशासनिक कार्यालय,
5. वर्क शॉप और प्रयोगशाला।